भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1326
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कनिष्ठ वकीलों के लिए वृत्तिका योजना

1326. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने कनिष्ठ वकीलों के लिए वृत्तिका योजनाएं लागू की हैं जबकि महाराष्ट्र में अभी तक ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उस सिफारिश पर विचार किया है जिसमें शहरी क्षेत्रों में कनिष्ठ वकीलों के लिए 20,000/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में कनिष्ठ वकीलों के लिए 15,000/- रुपये की मासिक वृत्तिका देने का सुझाव दिया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नियत आय के अभाव में कनिष्ठ वकीलों को आवास, यात्रा और अध्ययन सामग्री से संबंधित कठिनाइयों सहित आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कनिष्ठ वकीलों के लिए वजीफा योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा सूचित किया गया है कि, केरल, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने, राज्य सरकार स्कीमों, राज्य विधिज्ञ परिषद् कल्याण तंत्र और/या विधिज्ञ संगठनों के संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए

वृत्तिका और/या वित्तीय सहायता उपाय आरंभ किए हैं । जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, किसी राज्यव्यापी वृत्तिका योजना के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद् और/या राज्य सरकार समर्थक कार्यक्रम के स्तर पर कोई कार्यात्मक ढ़ांचा अपेक्षित है, जिसमें बजटीय समर्थन, अर्हता मानदंड, सत्यापन और संपरीक्षा सम्मिलित है ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् को जानकारी है कि कनिष्ठ अधिवक्ताओं के एक बड़े वर्ग को अपने कैरियर के आरंभिक दिनों में आय की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । अतः, इसने, "अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को सहायता करने में सहबद्ध कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वृत्तिका" विषय पर सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों और विधिज्ञ संगठनों को संबोधित परिपत्र सं0 बीसीआई:डी: 5383/2024, तारीख 15.10.2024 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों में कनिष्ठ अधिवक्ताओं को कम से कम 20,000/- रुपये प्रति मास और ग्रामीण क्षेत्रों में कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 15,000/- रुपये प्रति मास वृत्तिका मानदंड की सिफारिश की है ।

*****